

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 20.06.2022

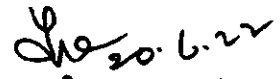
::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

| क्र.सं. | नवसृजित न्यायालय का नाम                                               | जिला     | बैठक का स्थान |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1       | 2                                                                     | 3        | 4             |
| 1       | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा | राजसमन्द | रेलमगरा       |

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

  
(प्रवीर भटनागर)  
प्रमुख शासन सचिव

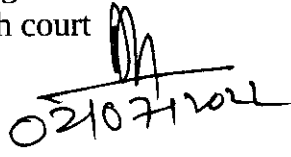
**RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR**

No. Gen./II/19/2022/...1054

Date: 20.7.2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges
3. Concerned Chief Judicial Magistrates
4. Concerned courts through District Judge
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

  
REGISTRAR (RULES)